


राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

क्रमांक :- प 2(3)ग्रावि/अनु.8/2015

जयपुर, दिनांक :- 18.01.2016


बैठक स्थगन सूचना

निर्देशानुसार माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सीकर जिले में आयोजित बैठक दिनांक 20.01.2016 को अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है।


परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, सचिव (द्वितीय), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
- 5 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
- 6 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
- 7 निजी सचिव, आयुक्त महानरेगा।
- 8 निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग।
- 9 निदेशक, मिड-डे-मील।
- 10 निदेशक, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज।
- 11 जिला कलक्टर, सीकर।
- 12 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सीकर को प्रेषित कर लेख है कि जिले के माननीय सांसद महोदय/विधायकगण/जिला प्रमुख/प्रधानगण एवं जिले के विकास अधिकारी को सूचित करे।
- 13 अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय), पंचायती राज।
- 14 सहायक निदेशक (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास।
- 15 जिला प्रभारी, मुख्यालय, सीकर।
- 16 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट (www.rdprd.gov.in) पर अपलोड करने हेतु।


परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)